



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION
IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं. : 1729 का संशोधन सहित नवीकरण
Amendment cum Renewal of Type Approval Number 1729
विषय / Sub : टी 8511 में एल्यूमिनियम अलॉय एए 2219 एक्स्ट्रूडेड फ्लैट एवं प्रोफाइल
Aluminium Alloy AA 2219 Extruded Flat and Profile in T8511

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स ऑर्डिनेन्स फैक्टरी, अम्बाझरी, नागपुर – 440 021, द्वारा विकसित तथा उत्पादित " टी 8511 में एल्यूमिनियम अलॉय एए 2219 एक्स्ट्रूडेड फ्लैट एवं प्रोफाइल पार्ट सं.सीके-380-1000-ईएक्स1 तथा सीके-380-1000ईएक्स2" को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1729, दिनांक 07 सितंबर 2012, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1729 जारी किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2017 तक था।

This is to state that the "Aluminium Alloy AA 2219 Extruded Flat and Profile in T8511 bearing part nos. CK – 380 – 1000 – EX1 & CK – 380 – 1000 EX2", developed and manufactured by M/s Ordnance Factory, Ambajhari, Nagpur – 440 021 was issued with Type Approval No.:1729 vide Ref. No.: CEMILAC/5070/TA-1729, dated: 07th September 2012 and with its validity up to 30th June 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 नवंबर 2017 से संतोषजनक निष्पादन प्रतिपुष्टि के आधार पर किया जाता है तथा 31 अक्टूबर 2022 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (एफ एंड एफ-एफ ओ एल), डी आर डी ओ, विमानपुरा पोस्ट, बेंगलूरु- 560 017, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st November 2017 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st October 2022 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (F&F-FOL), DRDO, Vimanapura Post, Bengaluru – 560 017 three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1729, दिनांक 07 सितंबर 2012 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-1729, dated: 07th September 2012.

“[अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु – 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।]”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru – 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।


All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं. / No.: सेमिलैक/CEMILAC/5070 /टी.ए/TA-1729/1R

दिनांक / Date : 25 November 2017

फैक्स सं. / Fax No.: 080-25230856

18
HR
2017


(पी. जयपाल / P. JAYAPAL)
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)